भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **938**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021/12 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता

938. श्री सुनील कुमार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खेती के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अधिकारिक जिम्मेदारी भी निश्चित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उर्वरकों की जमाखोरी/काला बाजारी को रोकने के लिये भी कोई कदम उठाए गये हैं, यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री
(मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): सभी राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं।

(i) प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता के आकलन के पश्चात, डीएएण्डएफडब्ल्यू उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है।

(ii) डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देशभर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य की मार्कफेड आदि जैसी संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(vi) यूरिया और अन्य उर्वरक के लिए मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौसम के लिये आयात को समय से अंतिम रूप दिया जाता है। देश में पीएण्डके उर्वरक विनियंत्रित हैं।

(vii) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समय-समय पर समाधान किया जाता है।

(घ): भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी/तस्करी रोकने के साथ ही न्यूनतम खुदरा मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तलाशी लेने, माल जब्त करने और दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उर्वरकों की जमाखोरी/कालाबाजारी को रोकने के लिए भी राज्य सरकारों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

******